कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / काष्ठ निर्वर्तन / 3736, भोपाल, दिनांक : 18/ 07 / 2017

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश।

विषय :– काष्ठागारों में विक्रित लाटों की स्वीकृति के संबंध में।

—::00::—

वृत्तों में नीलामी में रूपये 5 लाख से अधिक एवं रूपये 10 लाख से अधिक मूल्य में विक्रित लाटों की स्वीकृति के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे है। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/निर्व./काष्ठ/853 दिनांक 24.02.2008 के साथ संलग्न मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/863/287/2007/नियम/चार दिनांक 14.06.2007 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मध्यप्रदेश बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर 1995 भाग–II के अंतर्गत अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है, जिसके तहत पदेन वन संरक्षक को 10 लाख तक के विक्रय स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त है।

उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुये नवीन संशोधित आदेश अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारों के तहत किसी भी वृत्त में कार्रवाई नहीं की जा रही है।

अंतः उक्त पत्रों की छायाप्रति पुनः संलग्न कर भेजी जा रही है। भविष्य में उक्त अधिकारों के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

18/7/17

(डॉ. आर. के. गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/काष्ठ निर्वर्तन/ 3737 भोपाल, दिनांक 18/07/2017

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय), बैतूल वृत्त, मध्यप्रदेश की ओर उनके पत्र क्रमांक/रा.ले./2017/1154 दिनांक 11.07.2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मूलतः संलग्न प्रेषित है। उक्त प्रस्ताव पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/निर्व./काष्ठ/853 दिनांक 24.02.2008 के साथ संलग्न मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक/863/287/2007/नियम/चार दिनांक 14.06.2007 के अनुसार अपने स्तर से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक : 863 / 287 /2007/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 14 जून,2007

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय- मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेंशियल पावर्स 1995 भाग- II के अंतर्गत अधिकारों का प्रत्यायोजन.

-0-

मध्यप्रदेश बुक आफ फ़ायनेंशियल पावर्स 1995 भाग- II में वन विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत संलग्न प्रपत्र अनुसार और संशोधन किया जाता है ।

S.No 1	Description 2	Authorty competent exercise the powers 3	Extent of delegation 4	Conditions 5
9(vi)	For sale of forests produce when payment is not received in full at the time of delivery.	1. Principal Chief Consrevator of Forests . 2. Additional Chief Consrevator of Forests / Chief Consrevator of Forests . 3. Cousrevator of Forests . 4. Divisional Forest Officer	Up to Rs. 30 Lakh Up to Rs. 25. Lakh Up to Rs. 10 Lakh Up to Rs. 05 Lakh	

2/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू माने जाएगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक : / /2006/नियम/चार   भोपाल, दिनांक जून,2007

प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/ आडिट 1/2 मध्य प्रदेश ग्वालियर / भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(पी.सी. वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग